	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	में जारी हुए
03/5/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 17/5/25 को पेश हो रीडर	
1/5/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 09/5/25 को पेश हो रीडर	
5/25	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक C/6/25 को पेश हो रीडर	
6/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु॰। वकील वादी और वादी को न्यायालय समय में बार-बार आवाजे लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय का समय समाप्त होने जा रहा है। अतः वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के बाद शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Rajendra	

Read
24/01/2024

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवम्

उपखण्ड अधिकारी बापिणी।

राजस्व वाद संख्याः– /2024

तारीख प्रस्तुतीः–

वादीः– भंवराराम पुत्र श्री आसुराम, जाति जाट, निवासी पुनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अमराराम पुत्र श्री केसूराम
2. उरजाराम पुत्र श्री केसूराम
3. मगाराम पुत्र श्री केसूराम
4. मोतीराम पुत्र श्री केसूराम
5. घमण्डाराम पुत्र श्री केसूराम
   सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम पूनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
6. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी

वाद अन्तर्गत धारा 188 (एक सौ इठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी,

वादी का वाद निम्न प्रकार हैंः–

1. यह हैं कि ग्राम मौजा जेवासर, पटवार हल्का, तहसील बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1226 (बारह सौ छब्बीस) रकबा 3.4236 (तीन दशमलव चार दो तीन छः) हैक्टेयर, व ग्राम मुकनासर की सरहद में वादी की खातेदारी व कब्ज काश्त सुदा भूमि खसरा

नम्बर 837/1 (आठ सौ सैतीस बट्टा एक) रकबा 0.8741 (शून्य दशमलव आठ सात चार एक) हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। जो आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जिसकी चालु जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है।

2. यह है कि खेत खसरा नम्बर 1226 (बारह सौ छब्बीस) जिसका मूल रकबा 126 (एक सौ छब्बीस) बीघा 10 (दस) बिस्वा 4 (चार) बिस्वांशी जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.1989 (दस फरवरी उन्नीस सौ उननब्बे) को खरीद किया इस भूमि के साथ खसरा नम्बर 1224 (बारह सौ चौबीस), 1225 (बारह सौ पच्चीस) एवं 837 (आठ सौ सैतीस) की भूमि भी खरीद की जिस समय वादी की उम्र केवल मात्र 7 (सात) वर्ष थी एवं उक्त भूमि उसके कुदरती वली एवं वारिस आसुराम के जरिये खरीद की थी खरीद करने के पश्चात् उक्त जमीन का मौखिक बंटवाड़ा वादी की सहमति के बिना सभी सह खातेदारों आपसी सहमति से पुनासर केम्प कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवाड़े का पेश किया जिस पर राजस्व अभियान केम्प पूनासर के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिना कृषि भूमि का सत्यापन किये मनमर्जी से कागजी तरमीम केवल मात्र लम्बा लीरा काटते हुए तरमीम तोड़ दी जबकि मौके पर इस प्रकार का भौतिक बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है एवं वादीगण के उक्त बंटवाड़े की तरमीम में सहमति दिखाई गई है जो कि पूर्ण रूप से जाली व फर्जी है क्योंकि वादी की उम्र केवल मात्र 7 (सात) वर्ष थी इस प्रकार उक्त गलत बंटवाड़े की अपील वादी द्वारा माननीय अपर जिला कलेक्टर जोधपुर में पेश कर रखी है। जिसका नया प्रकरण संख्या 20/2023 (बीस बट्टा दो हजार तेबीस) अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी में विचाराधीन है।

3. यह है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा भौतिक विभाजन के विरूद्ध हो रखा है। वर्तमान में वादी के अपने

हक हिस्से वाली भूमि में ट्युबवैल खुदी हुई है ढाणी आदि बनी हुई है। हाल ही में दिनांक 27.11.2023 (सताईस नवम्बर दो हजार तेबीस) को प्रतिवादीगण ने मिलकर वादी के हक हिस्से वाली भूमि पर जबरदस्ती आकर लड़ाई झगड़ा किया जिसमें वादी के परिवार द्वारा माननीय थानाधिकारी पुलिस थाना मतोड़ा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 427, 354, 458 भा.दं. सं. में दर्ज करवाई इस प्रकार वर्तमान में प्रतिवादीगण हर वक्त वादी को अपने हक हिस्से वाली भूमि से बेदखल करने का आमाद है एवं वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बाहर निकाल कर स्वयं नवीन कब्जा करने को उतारू है इस प्रकार स्पष्ट है कि मौके पर वादग्रस्त भूमि का भौतिक विभाजन अनुसार राजस्व में तरमीम नहीं की है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा काश्त को लेकर भयंकर विवाद है इसलिए मजबूरन वादी को इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पड़ा है कि वादी के हक अधिकार कब्जा काश्त वाली वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।

4. यह है कि हाल ही में दिनांक 13.01.2024 (तेरह जनवरी दो हजार चौबीस) को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि में मौके पर आकर वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल की धमकी दी तथा कहा कि राजस्व रेकर्ड में तरमीम अनुसार हम मौके पर कब्जा करेंगे तो वादी ने कहा कि उक्त तरमीम गलत हो रखी है एवं मैं वक्त तरमीम नाबालिग था जिसका वास्तविकता से कोई लेना–देना नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने और कहा कि मौका मिलने पर तेरी भूमि पर नवीन कब्जा कर तुझे मौके से बेदखल कर देंगे।

5. यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि है जिसमें वादी का शांतिपूर्वक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में बनता है।

प्रतिवादीगण गलत तरमीम के आधार वादी को मौके से बेदखल करने हेतु उतारू है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा करके वादी को मौके से बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों पैसो में किया जाना असम्भव होगा तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है।

6. यह है कि बिनाय दावा दिनांक 13.01.2024 (तेरह जनवरी दो हजार चौबीस) को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि में मौके पर आकर वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल की धमकी दी तथा कहा कि राजस्व रेकर्ड में तरमीम अनुसार हम मौके पर कब्जा करेंगे तो वादी ने कहा कि उक्त तरमीम गलत हो रखी है एवं मैं वक्त तरमीम नाबालिग था जिसका वास्तविकता से कोई लेना–देना नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने और कहा कि मौका मिलने पर तेरी भूमि पर नवीन कब्जा कर तुझे मौके से बेदखल कर देंगे, तब उत्पन्न हुआ जो बिनाय दावा आज भी निरन्तर विद्यमान है व दावा अन्दर म्याद पेश है।

7. यह है कि प्रतिवादी संख्या 6 (छः) तहसीलदार भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है वरन् उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

8. यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जेवासर व मुकनासर, पटवार हल्का पूनासर तहसील बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है जिस बाबत् तमाम प्रकार के राजस्व वाद श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है।

9. यह है कि वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का निर्धारित न्यायालय शुल्क पर अलावा तलबाना के पेश है।

10. यह है कि इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार है:–

    1. यह है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी कि जावें कि वादग्रस्त भूमि मौजा जेवासर, पटवार हल्का, तहसील

बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1226 (बारह सौ छब्बीस) रकबा 3.4236 (तीन दशमलव चार दो तीन छः) हैक्टेयर व ग्राम मुकनासर की सरहद में वादी की खातेदारी व कब्ज काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 837/1 (आठ सौ सैतीस बट्टा एक) रकबा 0.8741 (शून्य दशमलव आठ सात चार एक) हैक्टेयर में मौके पर वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

2. यह है कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।
3. यह है कि अन्य अनुतोष जो वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी हो, वो दिलवाया जावें।

जरिये अधिवक्ता वादी

तस्दीकः—

मैं भंवराराम पुत्र श्री आसुराम, आयु वर्ष जाति जाट, निवासी पुनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी वाला हल्फ से तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र के पद संख्या 1 (एक) से 5 (पांच) मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है तथा पद संख्या 6 (छः) से 9 (नौ) कानूनी है जो मुझे मिली कानूनी सलाह अनुसार सही है तथा पद संख्या 10 (दस) इस्तदुआ वादी है जो सही एवं सत्य है। ईश्वर मेरी सत्य बोलने में मदद करें।

तस्दीककर्ता